

## कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश संख्या ..... / पटना, दिनांक .....  
07 / नि. (विधि - 05) रा.स.स. (परिसमापन) - 02 / 2013

### आदेश

चूंकि, न्यायालय बिहार सहकारी अधिकरण, पटना के द्वारा विविध वाद संख्या-01/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.11.13 / 18.11.13 (निर्गत ज्ञापांक 22 दिनांक 21.11.13) द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 की धारा-44 (3) के प्रावधानानुसार निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के पर्यवेक्षण में बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को—ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापित एवं विघटित करने का आदेश देते हुए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45 (क) में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापक नियुक्त करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था।

तदनुसार इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4776 दिनांक 22.08.14 द्वारा परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को—ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री मनीष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी, पटना को बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को—ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक सोसाइटी में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीना, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा- 45(क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, श्री अभय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पटना को परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को—ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं 48 में विहित प्रावधानानुसार उक्त प्रासंगिक समिति के परिसमापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-  
(हुकुम सिंह मीना)  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....  
07 / नि. (विधि - 05) रा.स.स. (परिसमापन) - 02 / 2013  
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, वित्त विभाग (ई-गजट कोषांग), बिहार, पटना को एक सौ.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उक्त आदेश को “Regarding appointment of Liquidator for Bank karmchari Swawalmbi Co-operative Society Ltd., Patna” के अंग्रेजी शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाय।

ह०/-  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५८०४

/पटना, दिनांक

०९.१०.१४

०७/नि。(विधि - ०५) रा.स.स. (परिसमापन) - ०२/२०१३

- प्रतिलिपि :-
1. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना,
  2. प्रधान सचिव, वित्त (सार्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेलीरोड, पटना-८००००१
  3. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान के दक्षिण, पटना
  4. क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्यलोक, कम्पलेक्स, पटना अंचल, पटना।  
उनसे अनुरोध है कि सेन्ट्रल बैंक के सभी सम्बन्धितों एवं सम्बन्धित शाखा प्रबंधकों, जहाँ समिति का खाता है, को सूचित करने का कष्ट करें।
  5. सचिव, बिहार अधिकरण, पटना
  6. श्री अभय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पटना -सह- परिसमापक, बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-७
  7. परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-७
  8. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि., पटना,
  9. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
  10. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया जाता है कि परिसमापनाधीन समिति की प्रति समिति के कार्यालय में तामिला कराना सुनिश्चित करें। यदि समिति का कार्यालय बन्द पाया जाय, तो नियमानुसार आदेश की प्रति समिति कार्यालय की दीवार पर चिपकाकर, चिपकाने के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
  11. सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
  12. सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
  13. सभी प्रबंध निदेशक, शीर्ष सहकारी संस्थान,  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  14. मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी सहायक एवं कार्यवाह सहायक को २० अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग से अनुरोध है कि इस आदेश की सॉफ्ट कॉपी तैयार कराकर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी.डी. भेजी जा सके। इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उनके ई-मेल पते पर भी संसूचित किया जाय।

*.....*  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना।